2018/00158

निर्णय न्यायालय श्री मनोज कुमार वर्मा, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 8/2019 | 16.5.2019 | 24/12/19 |

रतनलाल पुत्र बजरंगा, मीना निवासी भाडोती तहसील मलारनाडूंगर ––प्रार्थी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र मोहरलाल, मीना निवासी भाडोती तहसील मलारनाडूंगर
2. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा भाडोती
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मलारनाडूंगर ––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री शंभुलाल मीना, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री संजय शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि दिनांक 9.10.2001 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 के मध्य बडागांव कहार की आराजियात का बंटवारा हुआ जिसमें साबिक ख0नं0 1729 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा भूमि प्रार्थी के हिस्से में आया है। ख0नं0 1728 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा ग्राम बडागांव कहार अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में आया है। दोनों नम्बरों का पुराना नक्शा ट्रेस सही है। साबिक ख0नं0 1729 व 1728 के नक्शा ट्रेस में दोनों खेतों की सीमाएं मिली हुई है। दोनों नम्बरों की ट्रेस के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 आज भी मौके पर काबिज काश्त हैं। हाल भू–प्रबन्ध में साबिक ख0नं0 1729 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा के नवीन ख0नं0 4424 रकबा 0.44 है0 व ख0नं0 4425 रकबा 0.10 है0 बने हैं जो प्रार्थी के हिस्से में है। इन पर वर्तमान में भी प्रार्थी का कब्जा काश्त है। साबिक ख0नं0 1728 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा के नवीन ख0नं0 4325 रकबा 0.41 है0, ख0नं0 4326 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 4327 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 4328 रकबा 0.68 है0 बने हैं जो अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से में है। सेटलमेंट कर्मचारियों से सांठगांठ कर अप्रार्थी नं0 1 ने उनसे मिलकर बिना मौका देखे नये नक्शा ट्रेस को गलत तरीके से तरमीम करवा लिया है जिसमें ख0नं0 4325 के कुछ हिस्से को जो कि अप्रार्थी को ख0नं0 4424–4425 जो कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि को दबा दिया पुराने व नये नक्शा में काफी अन्तर नजर आ रहा है। ख0नं0 1729 व 1728 के पुराने नक्शा ट्रेस जो कि सही है, मौके पर प्रार्थी का कब्जा भी पुराने नक्शा ट्रेस के अनुसार आज भी बदस्तूर चला आ रहा है। प्रार्थी पुराने नक्शा ट्रेस के अनुसार नये नक्शा ट्रेस

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

को दुरूस्त करवाने व अप्रार्थी नये नक्शा ट्रेस के मुताबिक जो कि सेटलमेंट ने गलत किया है के मुताबिक प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि पर जबर्दस्ती करके कब्जा करने पर आमादा है। दिनांक 25.6.2018 को प्रार्थी अपने आराजी ख0नं0 4424 व 4425 पर गया तो अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थी की भूमि पर पत्थर डालकर गड्डे करने की तैयारी कर रहा था तब प्रार्थी ने कहा कि मेरी खातेदारी भूमि में पत्थर क्यों डाल रहे हो तब अप्रार्थी जबर्दस्ती करके पत्थर गाडने पर आमादा हो गया तब प्रार्थी ने तहसील मलारनाडूंगर में आकर नया व पुराना ारिकार्ड देखा तो पाया कि नक्शा ट्रेस पुराना नक्शा ट्रेस के अनुसार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि ख0नं0 4424 व 4425 ग्राम बड़ागांव कहार पर प्रार्थी के कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न स्वयं व अपने नौकर या एजेन्ट से नहीं करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 2, 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थी सं0 2, 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को हैरान व परेशान करने की गरज से पेश किया है। प्रार्थी चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसके विरूद्ध अप्रार्थी ने हाल ही में 308 का मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें प्रार्थी व उसके पुत्र को जेल हो गई थी एवं अब वे जमानत पर आजाद हैं। प्रार्थी कई मर्तबा अप्रार्थी की मारपीट कर घायल भी कर चुका है परन्तु लोगों के समझाने के कारण प्रार्थी सब कुछ सहन करता आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच खातेदारी भूमि का बंटवारा होकर पृथक पृथक खाते, पृथक पृथक तरमीम एवं पृथक पृथक खसरा नम्बर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुके हैं। सीमा विवाद एवं नक्शा ट्रेस गलत होने का कोई विवाद नहीं है। पुराना ख0नं0 1729 प्रार्थी की खातेदारी में है एवं पुराना ख0नं0 1728 अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी में दर्ज है। दोनों नम्बरों की पूर्व से ही तरमीम हो रही है तथा दोनों नम्बरों के पृथक पृथक मुताबिक रिकार्ड नक्शा ट्रेस दुरूस्त है। दोनों नम्बरों की पुरानी व नई नक्शा ट्रेस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 4325 रकबा 0.41 है0 पर प्रार्थी द्वारा नाजायज रूप से कब्जा करने के कारण अप्रार्थी ने एक वादपत्र न्यायालय उपजिलाकलेक्टर मलारनाडूंगर में प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय ने प्रार्थी को उक्त आराजी के 0.21 है0 रकबे से बेदखल करने के आदेश फरमाए थे। प्रकरण वर्तमान में राजस्व

(मनोज कुमार ...)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

मण्डल अजमेर में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी द्वारा स्थगनादेश ले रखा है। इस तथ्य को छिपाते हुए प्रार्थी ने यह मुकदमा प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। साबिक ख0नं0 1729 व 1728 की पुराने नक्शे में भी वस्तुस्थिति वही थी जो आज है। किसी प्रकार का कोई अन्तर नक्शा ट्रेस में नहीं है। प्रार्थी हमेशा से ही अप्रार्थी की जमीन को दबाता आ रहा है जिसके कारण समय समय पर उनके बीच विवाद होता रहा है। प्रार्थी मुकदमेबाजी का आदी है। अप्रार्थी ख0नं0 1728 से बने नवीन ख0नं0 4325, 4326, 4327, 4328 का रिकार्डेड खातेदार व्यक्ति है तथा मौके पर काबिज है। कानूनन कोई भी व्यक्ति एक रिकार्डेड खातेदार एवं मौके पर काबिज व्यक्ति के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी ने प्रार्थी की जमीन में न तो पत्थर डाले हैं और न ही गड्डे किए हैं। अप्रार्थी ने सीमाज्ञान करवाकर उक्त आराजी पर पत्थरगढी करवाने बाबत् एक प्रार्थना पत्र 128 एल0आर0एक्ट में न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारनाडूंगर में प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा है। अप्रार्थी के पिता का नाम मोहरलाल न होकर मोहरपाल है तथा प्रार्थी ने मुकदमे में सेटलमेंट विभाग को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए प्रार्थनापत्र खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल साबिक व हाल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2050 से 2053, फोटोकोपी नकल इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107 जा0फौ0 उनवानी सरकार बनाम नसरू वगैरा, न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारनाडूंगर प्रस्तुत की है।

जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में अप्रार्थी नं0 1 लगायत 8 ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता प्रार्थी व खाता अप्रार्थी, फोटोकोपी नकल नामान्तरकरण संख्या 956 दिनांक 9.10.07, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किए हैं।

जबाब के समर्थन में अप्रार्थी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अप्रार्थी ने भू–प्रबन्ध कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर वादग्रस्त भूमि के नक्शा ट्रेस में परिवर्तन करवा लिया है एवं अब इसकी आड में अप्रार्थी प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण कर उसमें

(मनोज कुमार)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर

Scanned by CamScanner

जबरन कब्जा करने पर आमादा है इसलिए अप्रार्थी नं0 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा जारी की जावे।

अप्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी ने गलत आधार पर यह मुकदमा प्रस्तुत किया है। वास्तव में भूमि प्रार्थी ने दबाई हुई है जिसके लिए प्रार्थी के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा बेदखली आदेश पारित किया हुआ है परन्तु प्रार्थी ने इस आदेश पर राजस्व मण्डल अजमेर से स्थगनादेश लिया हुआ है। इस तथ्य को प्रार्थी ने छिपाया है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार ही वर्तमान नक्शा ट्रेस तैयार किया गया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 के अनुसार भूमि ख0नं0 4424 व 4425 की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज है। अप्रार्थी स्वयं भी इस भूमि को प्रार्थी की होना स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को प्रार्थी की खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह मूल वाद के निर्णय होने तक भूमि ख0नं0 4424 रकबा 0.44 है0 एवं ख0नं0 4425 रकबा 0.10 है0 ग्राम कहार उर्फ बडागांव के कब्जे काश्त में प्रार्थी को न तो स्वयं बाधा उत्पन्न करें और न ही किसी अन्य से करावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 24/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12/19

( मनोज कुमार वर्मा )
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2020.06.19 14:10:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: